# हरियाणा सरकार

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

# हरियाणा

की

# वर्ष 2016–17

की

# वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

**Subject :- Annual Administrative Report of Social Justice & Empowerment Department, Haryana for the year 2016-17.**

*******

An Annual Administrative Report of Social Justice and Empowerment Department, Haryana for the year 2016-17 alongwith critique and review is placed before the Committee of Secretaries for consideration which is in accordance with the Government instructions contained in U.O. No. 16/22/2005-4Pro, dated 15th October 2020.

A prior permission of the Hon'ble Chief Minister, Haryana has been obtained on 30.7.2019 for placing the matter before the Committee of Secretaries.

(Anand M Sharan)
Principal Secretary to Govt. Haryana,
Social Justice & Empowerment Department

Chandigarh
Dated: 10-12-2020

To

The Chief Secretary to Govt. Haryana
Protocol Branch

**Review of Annual Administrative report (2016-17) of the Social Justice and Empowerment Department, Haryana.**

1. The Social Justice and Empowerment Department, Haryana is working independently since 1992 and is responsible for the implementation of social welfare schemes for the upliftment, development and rehabilitation of vulnerable groups such as Elderly People, Widows, Persons with Disabilities and Destitute Children etc.
2. Social Justice and Empowerment Department, Haryana is headed by the Director General working in the rank of Special Secretary to the Government of Haryana. One Additional Director, one Joint Director and four Deputy Directors assist the Director General in day-to-day office work. Besides, District Social Welfare Officers monitor schemes of the department at district level and three Government residential institutions functioning in District Rehabilitation Center, Bhiwani, Government Institute for the Blind Girls/Boys, Panipat and Training Center for adult Blind, Panipat for the welfare and rehabilitation of persons with physical disabilities.
3. The Department implements scheme for orphan/destitute children, widows and destitute women and their dependents, old and disabled, physically challenged and mentally retarded children, Kashmiri Migrant families, dwarves and eunuchs, persons with disability for their, development and rehabilitation. The department implements Plan and Non-Plan schemes for which an amount of Rs. 4191.10 crore (Rs.4159.43 crore Plan & Rs.31.67 crore Non-Plan) was utilized.
4. The Department has run centrally sponsored schemes for minority welfare successfully in the 10th year under report for minority communities-Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Parsis and Buddhists. Schemes for pre-matric, post matric & merit-cum-means scholarship schemes were implemented. An amount of Rs. 4655.20 lakh was utilized for development of minority concentration districts of Fatehabad, Kaithal, Sirsa, Mewat and Yamunanagar.

5. The Department had a revised budget provision of Rs. 4243.43 crore during the year under report and an amount of Rs. 4191.10 crore was utilized.
6. The Department emphasized on the economic and social security of senior citizens, widows and destitute women and persons with disabilities in the State. Financial assistance was given in the shape of Old Age Samman in Allowance, widow and destitute women's pension, disability pension and Ladli social security allowance as per detail given below:-

   i) Rs. 1600/- per month per beneficiary Old Age Samman Allowance was paid w.e.f. 01.11.2016.
   ii) Rs. 1600/- per month per beneficiary was paid as Widow Pension w.e.f. 01.01.2016.
   iii) Rs. 1600/- per month per beneficiary was paid as Disability Pension w.e.f. 01.11.2016.
   iv) Rs. 1600/- per month per beneficiary was paid as Ladli Social Security Allowance w.e.f. 01.11.2016.

(Amount in crore)

| Sr. No. | Name of Scheme | Budget | Expenditure | % age | Beneficiaries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Old Age Pension | 2545.76 | 2518.25 | 98.92 | 14,38,822 |
| 2. | Widow pension | 1081.10 | 1101.46 | 101.88 | 6,32,626 |
| 3. | Disability pension | 255.00 | 252.43 | 98.87 | 1,44,215 |
| 4. | Ladli Social Security | 53.20 | 51.23 | 96.30 | 29,761 |
| | **Total** | **3935.06** | **3923.37** | **99.70** | **22,45,424** |

99.70 % of the total expenditure of the Department was incurred on pension schemes only.

- Departmental total expenditure - Rs. 4191.10 crore
- Expenditure on pension schemes - Rs. 3923.37 crore
- Expenditure on other schemes - Rs. 267.73 crore

7. Apart from this, the Department had also released Rs. 123.04 crores to 108217 destitute children under the scheme of "Financial Assistance to Destitute Children".
8. 18 Non Government Organizations have been given financial assistance of Rs. 453.37 Lac in the shape of grant-in-aid to help disabled persons.

9. An amount of Rs. 4260.00 lac was utilized during the year 2016-17 to cover 4260 beneficiaries under The 'Rajiv Gandhi Pariwar Bima Yojna (Insurance Scheme)'.
10. The department has also released Rs. 593.00 lac to 2965 families under National Family Benefit Scheme to beneficiaries living below the poverty line during the year 2016-17.
11. The Department has a total of 644 sanctioned posts out of which 356 were filled up and 288 posts were vacant during the year.

(Anand M Sharan)
Principal Secretary to Govt. Haryana,
Social Justice & Empowerment Department

Chandigarh
Dated

# Social Justice and Empowerment Department, Haryana

## CRITIQUE

The Directorate of Social Justice and Empowerment Department, Haryana is committed to work for the welfare of Old age persons, widow and destitute women, disabled and destitute children in the state. During the year 2016-2017 the department has specially taken care of Old age persons, widow and destitute women, disabled and destitute children etc. As a result thereof pension to 22,45,424 old age, widows and destitute women, Ladli Social Security and disabled beneficiaries was distributed. The department has made all efforts to provide pensions at the door step of the beneficiaries before 7$^{th}$ of every month. A sum of Rs. 3923.37 crore i.e. 99.70% of the total budget provisions of the department was incurred during the year. The department has sanctioned financial assistance in the shape of grant-in-aid to the tune of Rs. 453.37 lakh to voluntary organizations working in the field of disability. In addition, the department had run Centrally Sponsored Schemes of Govt. of India successfully in the year under report for the **welfare of Minority Communities**. An amount of Rs. 4655.20 lakh was utilized for development of minority concentration districts of Mewat, Sirsa, Fatehabad, Kaithal and Yamunanagar.

(Anand M Sharan)
Principal Secretary to Govt. Haryana,
Social Justice & Empowerment Department

Chandigarh
Dated

विषय :— सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016—17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016—17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा, समालोचना (क्रिटिक) तथा रिपोर्ट को सचिवों की समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है, जो कि सरकार के अशासकीय क्रमांक 16/22/2005—4पी0आर0ओ0, दिनांक 15.10.2020 द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार है।

इस मामले को सचिवों की समिति के सम्मुख रखने के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पूर्व अनुमति दिनांक 30.07.2019 को प्राप्त कर ली गई है।

(आनन्द मोहन शरण)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक

सेवा में

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
प्रोटोकॉल शाखा

**सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वर्श 2016–17 की वार्शिक प्रासकीय रिपोर्ट की समीक्षा।**

1. हरियाणा राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार के एक विभाग के रुप से वर्ष 1992 से स्वतंत्र रुप से कार्य कर रहा है जोकि समाज में रहने वाले बजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों व बेसहारा बच्चों इत्यादि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उत्थान, विकास व पुनर्वास हेतू विभिन्न योजनाओं को भलीभांति चलाने के लिए जिम्मेवार है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा का मुखिया महानिदेशक है जोकि विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दर्जे का होता है। आमतौर पर उन द्वारा सरकार की तरफ से भी कार्य किया जाता है। एक अपर–निदेशक, एक संयुक्त–निदेशक एवं चार उप–निदेशक उनके रोजमर्रा के कार्यों में सहयोग देते है। 21 जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला स्तर पर विभागीय योजनाओं को भली प्रकार से चलाने के लिए जिम्मेवार होते है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय तीन सरकारी आवासीय संस्थाओं को अधीक्षकों द्वारा नेत्रहीन, मूक एवं बधिर, आर्थोपेडिकली दिव्यांग, मंदबुद्धि वृद्ध कल्याण इत्यादि हेतू चलाया गया।
3. विभाग द्वारा अनाथ/निराश्रित बच्चों, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं व उन पर निर्भर बच्चे, वृद्ध एवं दिव्यांग, शारीरिक अंगहीन, मंदबुद्धि तथा कुष्ठ रोगियों, कश्मीरी विस्थापित परिवार, किन्नर एवं बौनों को सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वासित करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई। प्लान योजनाओं के लिए रु0 4159.43 करोड तथा नान–प्लान योजनाओं के लिए रु0 31.67 करोड़ अर्थात इस वर्ष कुल रु0 4191.10 करोड रूपये व्यय किए गए।
4. विभाग ने भारत सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी व बौद्ध के कल्याण हेतू प्रायोजित योजना के तहत प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मैरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति एवं मुफ्त कोचिंग जैसी योजनाओं का भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। 4655.20 लाख रुपये मेवात, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल एवं यमुनानगर जिलों के विकास के लिए प्रयोग किये गये।
5. इस वर्ष विभाग के पास कुल रु0 4243.43 लाख का बजट प्रावधान था जबकि कुल खर्च रु0 4191.10 करोड था।
6. विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, विधवा एवं दिव्यांगों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सम्मान भत्ता योजना, विधवा/निराश्रित पैंशन, दिव्यांग पैंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के अन्तर्गत निम्न अनुसार सहायता दी गई :–

   क) दिनांक 01.11.2016 से वृद्धवस्था सम्मान भत्ता योजना में 1600/–रु0 प्रति लाभपात्र प्रतिमास की दर से भुगतान किया गया।
   ख) दिनांक 01.11.2016 से विधवा/निराश्रित पैंशन योजना में 1600/–रु0 प्रति लाभपात्र प्रतिमास की दर से भुगतान किया गया।
   ग) दिनांक 01.11.2016 से दिव्यांग पैंशन योजना के अन्तर्गत 1600/–रु0 प्रति लाभपात्र प्रतिमास की दर से भुगतान किया गया।

घ) दिनांक 01.11.2016 से लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 1600 रु0 प्रति लाभपात्र प्रतिमास की दर से भुगतान किया गया।

(राशि लाखों में)

| क0 सं0 | योजना का नाम | बजट | खर्च | प्रति□ात खर्चा | लाभपात्र |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वृद्वावस्था पैंशन | 2545.76 | 2518.25 | 98.92 | 14,38,822 |
| 2. | विधवा पैंशन | 1081.10 | 1101.46 | 101.88 | 6,32,626 |
| 3. | विकलांग पैंशन | 255.00 | 252.43 | 98.87 | 1,44,215 |
| 4. | लाडली सामाजिक सुरक्षा | 53.20 | 51.23 | 96.30 | 29,761 |
| | कुल जोड | **3935.06** | **3923.37** | **99.70** | **22,45,424** |

विभाग के कुल खर्च का 99.70 प्रतिशत खर्चा केवल पैंशन योजनाओं पर किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार अनुसार हैः–

- विभागीय कुल खर्च रु0 4191.10 करोड़
- पैंशन योजनाओं पर खर्च रु0 3923.37 करोड़
- शेष योजनाओं पर खर्च रु0 267.73 करोड़

7. उपरोक्त के ईलावा विभाग द्वारा निराश्रित बच्चों को वितीय सहायता योजना के तहत 108217 निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए रु0 123.04 करोड खर्च किये गये।
8. दिव्यांग कल्याण क्षेत्र में कार्य कर रही 18 स्वैच्छिक संस्थाओं को रु 453.37 लाख खर्च किये गये।
9. राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत वर्ष 2016–17 में 4260.00 लाख रूपये खर्च किये गये जिसमें 4260 लाभपात्रों को लाभ प्रदान किया गया।
10. विभाग ने इस वर्ष राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 2965 परिवारों को 593.00 लाख रुपये की राशि का लाभ प्रदान किया गया।
11. इस वर्ष विभाग के पास कुल 644 स्वीकृत पद थे जिसमें से 356 पद भरे हुए तथा 288 पद रिक्त थे।

(आनन्द मोहन शरण)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

## समालोचना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा समाज के वृद्धों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगों, बेसहारा बच्चों के कल्याण हेतू कटिबद्ध है। अतः वर्ष 2016–2017 में विभाग द्वारा वृद्धों, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगों, बेसहारा बच्चों इत्यादि की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके फलस्वरूप वृद्धावस्था, विधवा एवं बेसहारा महिला, लाडली सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांग पैंशन, 22,45,424 लाख लाभपात्रों को प्रदान की गई। सभी लाभपात्रों को यह पैंशनें प्रत्येक माह की 7 तारीख तक दहलीज स्तर पर प्रदान करने के लिये भरसक प्रयत्न किये गये। विभागीय बजट प्रावधान का 99.70 प्रतिशत राशि जो कि 3923.37 करोड़ रूपये थी, को केवल पैंशन वितरण पर खर्च किया गया। दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को 453.37 लाख रूपये की आर्थिक सहायता, सहायक अनुदान के रूप में इस वर्ष जारी की गई। इसके अतिरिक्त इस वर्ष विभाग द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतू केन्द्रीय प्रायोजित योजना का सफलतापूर्वक कियान्वित किया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 4655.20 लाख रूपये की राशि मेवात, सिरसा, फतेहाबाद कैथल एवं यमुनानगर जिलों के विकास के लिए खर्च की गई।

(आनन्द मोहन शरण)
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।

चण्ड़ीगढ़
दिनांक

# सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वर्श 2016–17 की वार्शिक रिपोर्ट

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिये कुल रु0 4243.43 करोड की बजट व्यवस्था की गई थी। जिसमें से विभाग का वास्तविक व्यय रु0 4159.43 करोड़ प्लान तथा रु0 31.67 करोड़ नान–प्लान शीर्ष से करते हुये कुल व्यय रु0 4191.10 करोड़ था।

## ❖ बाल कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं।

### ➢ निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अन्तगर्त निराश्रित एवं अनाथ बच्चों जिनकी आयु 21 वर्ष से कम हैं और वे माता–पिता की सहायता से वंचित हो गये है, माता–पिता की मृत्यु हो जाने के कारण या पिता के शारीरिक/सामाजिक असमर्थता के कारण या पिता के अनुपस्थित व जेल हो जाने के कारण उनका पालन–पौषण करने में असमर्थ हो जाते हैं को वर्ष 2016–17 के दौरान 123.04 करोड रूपये व्यय किये गये है तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या 108217 थी।

## ❖ महिला कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं ।

महिलाओं का स्तर उंचा उठाने की दृष्टि से विभाग द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनायें चलाई गई ताकि जरुरतमंद महिलायें आत्मनिर्भर हो सके। वर्ष 2016–17 में महिला कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनायें चलाई गईः–

### ➢ विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता

इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जोकि अपने साधनों से निर्वाह करने में असमर्थ है और उनको राज्य सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की वह महिलायें, जिनकी वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक नही है और जो विधवा है अथवा अविवाहित/विवाहित महिलायें, जो अपने पति की लगातार अनुपस्थिति के कारण या उनकी शारीरिक/मानसिक असमर्थता या पति द्वारा त्यागनें अथवा अन्य कारणों से वित्तीय साधनों से वंचित हो गई है और उनके निकट संबंधी जैसे माता–पिता, पुत्र–पौत्र आदि उनकी सहायता नही करते हों, 1400/–रुपये प्रति मास की दर से विधवा पैंशन दी गई तथा नवम्बर, 2016 से 1600/–रू0 प्रतिमास दी गई। वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1101.46 करोड रूपये की राशि खर्च की गई तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या 6,32,626 थी।

## ➢ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना

हरियाणा राज्य में दिनांक 01.01.2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना आरम्भ की गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ ऐसे माता–पिता को दिया जाता है, जिनकी आयु 45 वर्ष सेअधिक हो और उनकी केवल लडकी/लडकियां है, को 60 वर्ष की आयु तक लाडली पैंशन योजना का लाभ दिया जाता है। लाभपात्र की आयु 60 वर्ष होने पर उन्हे वृद्धावस्था पैंशन का लाभ दिया जाता है। प्रारम्भ में पैंशन की दर 300/–रु0 प्रतिमाह थी जो कि 01.11.2016 से बढाकर 1600/–रु0 प्रतिमाह कर दी गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 51.23 करोड रूपये की राशि खर्च की गई तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या 29761 थी।

## ➢ क□मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना

जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य से विस्थापित होकर जो परिवार हरियाणा राज्य में रह रहे हैं, उन परिवारों को प्रारम्भ में 1000/–रु0 प्रतिमास प्रति परिवार की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी जिसे 16 अगस्त, 2014 को बढाकर 5000/–रु0 प्रतिमाह प्रति परिवार करते हुए वित्तीय सहायता का लाभ 5 वर्ष तक दिया जाता है। यह योजना 01.04.2006 से शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 1.16 लाख रूपये व्यय किये गये हैं तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या केवल 11 थी।

## ➢ बौना भत्ता योजना

हरियाणा राज्य में 01.06.2006 से बौना भत्ता योजना लागू की गई है। प्रारम्भ में भत्ता की दर 300/–रूपये प्रतिमास थी जोकि 01.03.2009 से बढाकर 500/–रूपये प्रतिमास की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में केवल 25 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे है जिस पर 4.23 लाख रूपये व्यय किये गये।

## ➢ किन्नर भत्ता योजना

हरियाणा राज्य में 01.06.2006 से किन्नर भत्ता योजना लागू की गई है। प्रारम्भ में भत्ता की दर 300/–रूपये प्रतिमास थी जोकि 01.11.2017 से बढाकर 500/–रूपये प्रतिमास की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 3.14 लाख रूपये व्यय किये गये है तथा केवल 19 लाभपात्र लाभ प्राप्त कर रहे है।

## ❖ दिव्यांग कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं।

विभाग द्वारा हरियाणा में रह रहे दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण एवं विकास के लिये निम्नलिखित योजनायें चलाई गईः–

## ➢ राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत

यह योजना वर्ष 1958 से प्रारम्भ है। विभाग द्वारा नेत्रहीन लडकों एवं लडकियों के लिये पानीपत में एक आवासीय विद्यालय चलाया जा रहा है।

जहां पर 6 से 18 वर्ष की आयु के नेत्रहीन छात्र/छात्राओं को 12वीं कक्षा तक शिक्षण–प्रशिक्षण के साथ–2 किताबें, रहन–सहन, खान–पान तथा अन्य सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस संस्थान में ऐसे नेत्रहीन विद्यार्थियों जो 10+1 व 10+2 कक्षा में अन्य विद्यालयों में पढते है, को आवासीय सुविधायें भी निःशुल्क प्रदान की जाती है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः–

| **वर्श** | **लाभपात्र** | **बजट प्रवाधान (रू0 लाखों में)** | **खर्चा (रू0 लाख)** |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | 123 | 183.83 | 179.09 |

## ➢ प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, पानीपत

यह योजना वर्ष 1964 से प्रारम्भ है। विभाग द्वारा प्रौढ नेत्रहीनों के लिये पानीपत में एक प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में 18 वर्ष से 45 वर्ष तक आयु वर्ग के नेत्रहीनों को कुर्सी बुनना, खड्डी चलाना, मोमबती बनाना व संगीत इत्यादि में 3 वर्ष का व्यावसयिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कक्ष की भी स्थापना की गई है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः–

| **वर्श** | **लाभपात्र** | **बजट प्रवाधान (रू0 लाखों में)** | **खर्चा (रू0 लाख)** |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | 7 | 50.56 | 41.08 |

## ➢ दिव्यांग छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 1971 से प्रारम्भ है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे सभी प्रकार के दिव्यांग छात्रों को जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है तथा जिनके माता–पिता की मासिक आय 10,000/–रु0 से कम है, को उनके कक्षा स्तर अनुसार 400/–रु0 से 1000 /–रु0 प्रतिमास की दर से छात्रवृत्तियां दी जाती है

| क्र0 सं0 | कक्षा की श्रेणी | मसिक छात्रवृति की दर (डे स्कॉलर) | मसिक छात्रवृति की दर ( हॉस्टलर) | नेत्रहीनों के लिए रीडर भत्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कक्षा-I-IV | 400/– | – | – |
| 2 | कक्षा-V-VIII | 500/– | – | – |
| 3 | कक्षा-IX-XII | 600/– | 600/– | 300/– |
| 4 | बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम0 | 600/– | 800/– | 400/– |
| 5 | बी0ई0/बी0टेक0/एम0बी0बी0एस0/एल0 एल0बी0/बी0एड0 एवं डिप्लोमा इन प्रोफेशनल और इन्जीनियरिंग स्टडीज आदि। | 800/– | 1000/– | 500/– |
| 6 | एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0/एल0 एल0एम0/एम0एड0/एम0टेक0 आदि। | 1000/– | 1000/– | 500/– |

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः–

| **वर्श** | **लाभपात्र** | **बजट प्रवाधान (रू0 लाखों में)** | **खर्चा (रू0 लाखों में)** |
|---|---|---|---|
| 2016–17 | 2812 | 200.00 | 176.03 |

### ➢ दिव्यांग पैंशन

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति दिव्यांग पैंशन पाने के योग्य है, बशर्तें कि वह हरियाणा के निवासी है और आवेदन पत्र देने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व से हरियाणा राज्य में रह रहे हों और उनके नजदीकी रिश्तेदार उनकी सहायता न करते हो और उसकी आमदनी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम वार्षिक आमदनी से अधिक नही है और वह 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को 500/—रू0 है। 01.11.2016 से पैंशन की दरों में बढोतरी करते हुए पैंशन की दर 1600/— रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है। वर्ष 2016—17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 25242.63 लाख खर्च की राशि खर्च की गई तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या 144215 थी।

### ➢ शिक्षित दिव्यांगों को बेरोजगारी भत्ता

यह योजना वर्ष 1981 से प्रारम्भ है। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित दिव्यांग बेरोजगार, जिनकी निःशक्तता 70 प्रतिशत या इससे अधिक और शैक्षणिक योग्यता मिडल पास, डिप्लोमा होल्डर, मैट्रिक या इससे अधिक है, को रोजगार कार्यालय में नाम पंजीकरण की तिथि से शैक्षणिक योग्यता अनुसार 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग को क्रमशः 500/—रु0, 750/—रु0 व 1000/—रु0 मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि शतप्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को क्रमशः 1000/—रु0, 1500/—रु0 व 2000/—रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

**स्कीम के तहत वर्श अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः—**

| वर्श | लाभपात्र | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|---|
| **2016—17** | .— | **24.00** | **5.16** |

### ➢ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

यह योजना वर्ष 1961 से आरम्भ है। दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को विभाग द्वारा सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इनमें प्रमुख स्वैच्छिक संस्थायें साकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर, मूक एवं बधिर दिव्यांग कल्याण समिति पंचकूला, हिन्द कुष्ठ निवारण संघ पंचकूला, जिला रैडक्रास सोसायटीज, राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ फरीदाबाद, सनातन धर्म अन्ध विद्यालय व ब्रेल टेप लाईब्रेरी, अम्बाला कैन्ट आदि हैं। विभाग द्वारा यह अनुदान प्रत्येक वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास, शिक्षण—प्रशिक्षण, रख—रखाव तथा अमले के वेतन तथा राशनमनी के रूप में एवं दिव्यांग रोगियों के कल्याण के लिए प्रदान किया जाता है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः—

| वर्श | लाभपात्र | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016—17 | 119 | 510.11 | 453.37 |

- **मन्दबुद्धि दिव्यांग हेतू राज्य स्तरीय गृह (सिरतार) रोहतक।**

यह योजना वर्ष 2009 से प्रारम्भ है। राज्य सरकार द्वारा रोहतक में मन्दबुद्धि दिव्यांगों हेतू राज्य स्तरीय गृह की स्थापना की जा चुकी है। यह संस्थान सरकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत है और इस संस्था में 200 बच्चों को रखने का लक्ष्य है। परन्तु इस समय 100 दैनिक एवं 50 बच्चे छात्रावास में रह रहें है। इस संस्थान में मन्दबुद्धि बच्चों को चिकित्सा, शिक्षण—प्रशिक्षण, रहन—सहन, खान—पान व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः—

| वर्श | लाभपात्रों की संख्या | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|---|
| 2016—17 | 125 | 325.00 | 215.86 |

- **0 से 18 के स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता**

यह योजना वर्ष 2008—09 से प्रारम्भ है। हरियाणा राज्य में औपचारिक शिक्षा से वंचित ऐसे मन्दबुद्धि बच्चों जिनकी बौद्धिक क्षमता (आई0क्यू0) 50 से कम अथवा न्यूनतम दिव्यांग 70 प्रतिशत अथवा इससे अधिक एवं आयु 18 वर्ष से कम है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः—

| वर्श | लाभपात्र | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|---|
| 2016—17 | 6823 | 680.00 | 679.38 |

- **मानसिक रूप से विक्षिप्त मंदबुद्धि बच्चों के पुर्नवास हेतू घरौंदा**

यह योजना वर्ष 2008—09 से प्रारम्भ है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले मानसिक विक्षिप्त व्यक्तिों राज्य के ओटिजम, सैरेबल पैलसी, मंदबुद्धि एवं बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जीवन पर्यन्त गृह सुविधा उपलब्ध करवाने हेतू सिरतार रोहतक का चयन किया गया है। भवन निर्माण के लिए प्लानस बनाने हेतू मामला वास्तुकला विभाग के विचाराधीन है।

- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिये बहुउद्दे□ीय कैम्पों का आयोजन**

यह योजना वर्ष 2002—03 से प्रारम्भ है। राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उनके कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योंजनाओं एवं दी जा रही सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्वेश्य से जिला स्तर पर बहुउद्वेशीय कैम्पों का आयोजन किया जाता है। इन कैम्पों में सभी सम्बन्धित प्रमुख विभागों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भाग लिया जाता है। इन कैम्पों में योजनाओं की जानकारी के अतिरिक्त मौके पर ही पैंशन फार्म, छात्रवृत्ति फार्म, पहचान पत्र, कृत्रिम अंगों व सहायक उपकरणों के वितरण जैसी सुविधायें भी उपलब्ध कराई जाती है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः—

| वर्श | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|
| 2016–17 | 5.00 | 3.91 |

## ➢ राज्य पुरस्कार योजना

यह योजना वर्ष 1982 से प्रारम्भ है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों/स्व–रोजगार चलाने वाले/दिव्यांग के लिये नियोक्ता एवं दिव्यांग व्यक्तियों के प्लैसमेंट अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्न विवरण अनुसार राज्य पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :–

| क्र0 स0 | पुरस्कारों की श्रेणी | पुरस्कारों का स्वरूप व संख्या | पुरस्कार राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | **सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों/** सरकारी विभागों में/पी0एस0यू0 राज्य सरकार | प्रथम पुरस्कार (1)<br>द्वितीय पुरस्कार (1) | Rs. 15,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल।<br>Rs. 10,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| 2 | निजी क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी | प्रथम पुरस्कार (1)<br>द्वितीय पुरस्कार (1) | Rs. 15,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल।<br>Rs. 10,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| 3 | स्वः रोज़गार | पुरस्कार (1) | Rs. 10,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| **II** | **सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार** | | |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सरकारी विभागों में/पी0 एस0 यू0 | प्रथम पुरस्कार (1) | Rs. 25,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| 2 | सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता (निजी) | प्रथम पुरस्कार (1) | Rs. 25,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| 3 | सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता एजैंसी (अधिकारी सरकारी/गैर सरकारी) | प्रथम पुरस्कार (1) | Rs. 15,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| **III** | **सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति** | | |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति | पुरस्कार (1) | Rs. 25,000/–एवं शील्ड एवं कथन। |
| IV | **सर्वश्रेष्ठ संस्था पुरस्कार** | | |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ संस्था | पुरस्कार (1) | Rs. 25,000/–एवं शील्ड एवं सकरोल। |
| **V** | **निःशक्त व्यक्तियों के लिये बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने हेतु किया गया उत्कृष्ट कार्य** | | |
| 1 | बाधामुक्त वातावरण (सरकारी/पी0एस0यू0 गैर सरकारी संस्था एवं उघोग, ट्रेड आदि) | –– | शील्ड एवं सकरोल। |
| **VI** | **सर्वश्रेष्ठ सृजनशील** | | |
| 1 | सर्वश्रेष्ठ सृजनशील एक व्यस्क निःशक्त पुरूष एवं एक महिला | पुरस्कार (1) पुरूष के लिए<br>पुरस्कार (1) महिला के लिए | Rs. 25,000/–प्रत्येक<br>Rs. 25,000/–प्रत्येक |
| 2 | 18 वर्ष की आयु से कम सर्वश्रेष्ठ सृजनशील एक बच्चा<br>18 वर्ष की आयु से कम सर्वश्रेष्ठ सृजनशील एक बच्ची | पुरस्कार (1) लड़के के लिए<br>पुरस्कार (1) लड़की के लिए | Rs. 5,000/–प्रत्येक को मैडल एवं सकरोल<br>Rs. 5,000/– प्रत्येक को मैडल एवं सकरोल |

| वर्श | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|
| 2016–17 | 10.00 | 1.46 |

## ➢ केअरगिवर्स का विस्तार

यह योजना वर्ष 2008–09 से आरम्भ है। इस योजना के अन्तर्गत बहु निःशक्तता वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए जिस प्रार्थी द्वारा आरःसीःआई, नई दिल्ली से केयरगिवर्स के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, की नियुक्ति की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय न्यास द्वारा तैयार की गई है तथा राष्ट्रीय न्यास व राज्य सरकार द्वारा सांझेदारी के आधार पर क्रियान्वित की गई है।

## ➢ बीमा योजना (निरमाया)

यह योजना वर्ष 2008–09 से आरम्भ है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा मैसर्ज अलाईन इंशोरैंस ब्रोकिंग लिमिटिड 117, सैंट ईःबीःबीःऐजःअवैन्यू, पीःएसःसीवासमई सलाई, मिलीपोर, चैन्नई स्थित बीमा कम्पनी को नामित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ऑटिज्म, सैरेब्राल पाल्सी, मैन्टल रिटार्डेशन व बहुनिःशक्त व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है।

स्कीम के तहत वर्ष अनुसार खर्चा एवं लाभपात्रों का विवरणः–

| वर्ष | बजट प्रावधान (रू0 लाखों में) | खर्चा (रू0 लाख) |
|---|---|---|
| 2015–16 | 0.25 | 0.25 |

## ➢ स्थानीय स्तरीय समितियों को धन उपलब्ध कराना

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ है। इस योजना के अन्तर्गत बहु निःशक्तता वाले व्यक्तियों की सम्पति सम्बन्धी सुरक्षा के लिए संरक्षक हेतु स्थानीय स्तरीय समितियों को धन उपलब्ध करवाया जाता है । यह योजना राष्ट्रीय न्यास व राज्य सरकार द्वारा सांझेदारी के आधार पर लागू की गई है।

## ➢ अनुसंधान/विशेष स्कूल एंव रिकियेशन सैंटर

यह योजना वर्ष 2008–09 से आरम्भ है। इस योजना के तहत सिरतार, (रोहतक), गांधी नगर संस्था द्वारा अनुसंधान एंव विशेष स्कूल के अंतर्गत अनुसंधान करने हेतू वर्ष 2016–17 में कोई खर्च नही हुआ।

## ➢ कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना

यह योजना वर्ष 1983 से आरम्भ है। राज्य के निःशक्तों का पुनर्वास करने के उद्वेश्य से विभिन्न जिला रैडक्रास समितियों तथा साकेत कौंसिल चण्डीमन्दिर के माध्यम से उनकी जरूरत अनुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाये जाते हैं । इसकी ऐवज में इन संस्थाओं से प्राप्त कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण बिलों की शतप्रतिशत पूर्ति इस विभाग द्वारा की जाती है। जिसके विरूद्ध कोई खर्च नही हुआ।

### ❖ वृद्ध कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं।

## ➢ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पैंान) योजना

वृद्धावस्था पैंशन योजना सबसे पहले 1–11–1966 से हरियाणा राज्य में लागू की गई। वृद्धावस्था पैंशन योजना 1991 में आर्थिक आधार को जोड़ते हुए 1–7–1991 से लागू की गई है। वृद्धावस्था पैंशन योजना–1991 में 1–7–1991 से आयु पात्रता की सीमा कम करके 60 वर्ष कर दी गई है । हरियाणा राज्य का अधिवासी, जो हरियाणा राज्य से पैंशन न प्राप्त कर रहा हो और पति एवं पत्नी

की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो, पैंशन प्राप्त करने का हकदार है । पैंशन की दरों में समय–2 पर बढ़ोतरी की गई है । दिनांक 1–4–2013 से 31–12–2014 तक पैंशन की दरों में हुई बढ़ोतरी अनुसार 1–3–99 से पूर्व पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 700/–रू0 तथा 1–3–99 के बाद से लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को 500/–रू0 प्रति मास की दर से पैंशन की अदायगी की गई है । इसके पश्चात् 1–11–2016 से पैंशन की दरों में बढ़ोतरी करते हुए पैंशन की दर 1600/–रू0 प्रतिमास प्रति लाभपात्र की गई है । पैंशन की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजी जाती है। वर्ष 2016–17 के दौरान योजना के अन्तर्गत 251825.06 लाख रूपये की राशि खर्च की गई तथा वित्त वर्ष के अन्त में लाभपात्रों की संख्या 1438822 थी।

## ➢ वृद्ध एवं अपंग गृह रेवाड़ी

हरियाणा सरकार द्वारा वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्‌देश्य से विकास पुत्र एवं युग पुरूष चौधरी बंसी लाल वृद्ध एवं अपंग गृह, रेवाड़ी में चलाया जा रहा है। इस गृह की क्षमता 100 संवासियों की है। वर्तमान में इस गृह में 16 संवासी रह रहे हैं तथा खान–पान, कपड़े तथा बिस्तरें, चिकित्सा एवं मनोरंजन जैसी सुविधाएं मुफ्त में प्राप्त कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष प्रत्येक संवासी को 50/–रूपये प्रतिमाह जेब खर्च के रूप में भी दिए जाते हैं । 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध पुरूष/महिलाएं एवं 45 वर्ष से अधिक आयु के निःशक्त पुरूष एवं महिलाएं जिनकी आजीविका का कोई साधन न हो और न ही कोई उनकी देखभाल करने वाला हो, विकास पुत्र एवं युग पुरूष चौधरी बंसी लाल वृद्ध एवं अपंग गृह, रिवाड़ी में दाखिला लेने का पात्र है । वर्ष 2016–17 में 30.58 लाख रूपये की राशि खर्च की गई व संस्था में संवासियों की संख्या 16 थी।

## ➢ वरिश्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करना

हरियाणा राज्य के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र जारी किये जा रहे है ताकि वरिष्ठ नागरिक राज्य अथवा भारत सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का आसानी से लाभ प्राप्त कर सके। हरियाणा राज्य में 1336338 वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी किये जा चुके है। वर्ष 2016–17 में इस योजना के अंतर्गत 5.00 लाख रु0 की राशि खर्च की गई ।

## ➢ वृद्ध जनों के लिए राज्य पुरस्कार

वरिष्ठ नागरिकों का मनोबल कायम रखने तथा समाज में उनका सम्मान बढ़ाने के उद्‌देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार की तर्ज पर वृद्धजनों को राज्य पुरस्कार देने की योजना वर्ष 2008–09 में आरम्भ की गई । प्रत्येक वर्ष वृद्ध जन दिवस के अवसर पर वृद्ध जनों को राज्य पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। सरकार की अधि–सूचना क्रमांक 1150/एस0डब्ल्यू(4) दिनांक 24.11.2015 के द्वारा निम्न 10 पुरस्कार अधिसूचित किये गये है। वर्ष 2016–17 में 9.75 लाख रूपये की राशि के पुरस्कार वितरित किए गए :

1. सतवर्षीय पुरस्कार।
2. आजीवन उपलब्धि पुरस्कार।
3. सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार।
4. साहस एवं शौर्य पुरस्कार।

5. सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कार।
6. सर्वश्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार
7. (क) वरिष्ठ चित्रकार पुरस्कार (ख) वरिष्ठ मूर्तिकला पुरस्कार (ग) वरिष्ठ अभ्यास संगीतकार/गायक पुरस्कार।
8. सिनियर प्रैक्टिसिंग स्पोर्टस पर्सन अवार्ड।
9. बेस्ट ओल्ड ऐज होम अवार्ड।
10. बेस्ट डे–केयर सैन्टर अवार्ड।

## ➢ वरिश्ठ नागरिक क्लबों की स्थापना

हरियाणा राज्य के सभी शहरी सम्पदा क्षेत्रों मे वरिष्ठ नागरिक क्लबों को स्थापित करने की योजना वर्ष 2008–09 में आरम्भ की गई थी । इस योजना के तहत सहायक अनुदान राशि जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित पंजीकृत सोसायटी को स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ संचालित क्लब को प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। आज तक राज्य के 14 जिलों में ऐसे क्लब कार्यरत हैं। वर्ष 2016–17 में क्लबों के संचालन हेतु 5.00 लाख रूपये की राशि खर्च की गई ।

## ➢ वरिश्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवाएं संगठन/नैटवर्क की स्थापना

हरियाणा सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवाएं संगठन/नैटवर्क स्थापित करने की योजना वर्ष 2008–09 में आरम्भ की गई थी । इस योजना के तहत सहायक अनुदान राशि जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित पंजीकृत सोसायटी को स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ संचालित संगठन को प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। आज तक राज्य के 14 जिलों में ऐसे संगठन कार्यरत हैं। वर्ष 2016–17 में इस स्कीम के तहत 04.50 लाख रूपये की राशि खर्च की गई ।

## ❖ अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतू योजनाएं

## ➢ प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति�ात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूली बच्चों हेतू वित्तीय बोझ को कम करने व माता–पिता को बच्चों को स्कूल भेजकर शिक्षा पूर्ण करने हेतू प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

| कमांक | वित वर्श | छात्रो की सख्या | खर्चा | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016–17 | 2418 | 61,68,099/– | भारत सरकार द्वारा छात्रों की छात्रवृति डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से जमा करवाई जाती है। |

## ➢ पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति�ात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)

इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बोद्ध व पारसी समुदाय के 11वीं कक्षा से पी0एच0डी0 कक्षा तक पढ रहे

बच्चे एवं तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा स्कूल/कॉलेज/संस्थान में ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए छात्रवृति प्रदान की गई।

| क0 | वित वर्श | छात्रो की सख्या | खर्चा | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016—17 | 3398 | 2,35,64,676/— | भारत सरकार द्वारा छात्रों की छात्रवृति डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोरटल से जमा करवाई जाती है। |

- **मैरिट—कम—मीन छात्रवृत्ति योजना (100 प्रति□ात केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम)**

इस योजना के तहत गरीब एवं मैरिट प्राप्त विद्यार्थी जोकि अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखते है, को मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी व प्रोफशैनल कोर्स में डिग्री, स्नातक एवं स्नातकोतर स्तर के कोर्स करने पर प्रदान की जाती है।

| कमांक | वित वर्श | छात्रो की सख्या | खर्चा | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016—17 | 1204 | 3,27,57,187/— | भारत सरकार द्वारा छात्रों की छात्रवृति डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से जमा करवाई जाती है। |

- **अल्पसंख्यक जिलों कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, मेवात तथा यमुनानगर जिलों में विकास हेतु योजना।**

इस योजना के तहत वर्ष 2016—17 में कुल 46.55 करोड़ रूप्ये की राशि रिलीज की गई ताकि अल्पंसख्यंक प्रधान क्षेत्रों का विकास हो सके।

## ❖ न□ाामुक्ति योजना

वर्ष 2016—17 में 20.00 लाख रू0 की राशि का बजट प्रावधान था। इस बजट राशि में से 14. 94 लाख रू0 की राशि खर्च की गई थी। इस प्रकार 5.06 लाख रू0 की राशि खर्च नही हुई क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत नशामुक्ति क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं से मांग प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2016—17 में 11 अनुदान केसिज भारत सरकार को राज्य सरकार की सिफारिशों सहित भिजवाये गये। इस समय हरियाणा राज्य में 47 नशामुक्ति केन्द्र लाईसैंस प्राप्ति पश्चात् चलाये जा रहे है।

## ❖ निदे□ाालय अमला

इस वर्ष के दौरान मुख्यालय पर व क्षेत्रीय अमले की जो स्थिति रही उसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर दिया गया है।

**परि□िाश्ट 'क'**

वर्ष 2016–17 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा की कर्मचारी वर्ग की स्थितिः–

| क0 स0 | पद का नाम | स्वीकृत | भरे हुए | खाली |
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V |
| 1 | महानिदेशक, आई0ए0एस0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | अपर–निदेशक(प्रशा0) एच0सी0एस0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | संयुक्त निदेशक | 1 | 1 | 0 |
| 4 | मुख्य लेखाधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 5 | वरिष्ठ सिस्टम विशलेषक | 1 | 0 | 1 |
| 6 | उप–निदेशक | 4 | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | उप–निदेशक (आडिट) | 1 | 1 | 0 |
| 8 | प्रशासकीय अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 9 | सहायक कार्यक्रम अधिकारी | 11 | 0 | 11 |
| 10 | अधीक्षक | 4 | 4 | 0 |
| 11 | अनुसधांन अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 12 | जिला समाज कल्याण अधिकारी | 21 | 21 | 0 |
| 13 | रेजिडेन्ट लेखा परीक्षा अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 14 | सिस्टम विश्लेषक | 1 | 0 | 1 |
| 15 | लेखाधिकारी | 2 | 2 | 0 |
| 16 | वरिष्ठ सिस्टम इर्जीनियर | 1 | 0 | 1 |
| 17 | प्रोग्रामर | 1 | 0 | 1 |
| 18 | निजि सचिव | 1 | 1 | 0 |
| 19 | सहायक जिला न्यायवादी | 1 | 1 | 0 |
| 20 | अनुभाग अधिकारी | 21 | 16 | 5 |
| 21 | वरिष्ठ लेखा परीक्षक | 2 | 0 | 2 |
| 22 | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 2 | 0 | 2 |
| 23 | वरिष्ठ आशुलिपिक | 1 | 1 | 0 |
| 24 | कनिष्ठ आशुलिपिक | 1 | 1 | 0 |
| 25 | स्टेनो टाईपिस्ट | 10 | 1 | 9 |
| 26 | जिला पुनर्वास अधिकारी (डी0आर0सी0) सेवानिवृत दिनांक 30.04.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | सामाजिक कार्यकर्ता सह वोकेशनल कांउसलर (डी0आर0सी0) सेवानिवृत दिनांक 31.07.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | प्रोस्थेटिक इर्जीनियर (डी0आर0सी0) Expired on dated 11.01.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ओर्थोटिक इर्जीनियर | 1 | 1 | 0 |
| 30 | ओक्यूपेशन्ल थेरेपिस्ट (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ऑडियोलोजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 32 | चालक कम अटैन्डेन्ट (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 33 | बहुउद्वेशीय पुर्नवास तकनीशीयन (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 34 | इयर मोल्ड तकनीशीयन (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 35 | टाईपिस्ट / स्टोरकीपर (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 36 | स्वीपर –कम– चौकीदार–कम–मैसंजर (डी0आर0सी0) | 3 | 3 | 0 |
| 37 | लैदर वर्कर / शू मेकर (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 38 | सहायक (डी0आर0सी0) | 1 | 1 | 0 |
| 39 | अन्वेषक | 63 | 35 | 28 |
| 40 | लिपिक | 191 | 85 | 106 |
| 41 | ब्रेल लिपिक | 2 | 2 | 0 |
| 42 | सहायक / लेखाकार / खजान्ची | 109 | 99 | 10 |
| 43 | लेखा परीक्षक | 5 | 1 | 4 |
| 44 | लेखाकार (बी0काम0) | 4 | 0 | 4 |
| 45 | अधीक्षक (टी0सी0ए0बी0) | 1 | 1 | 0 |
| 46 | चालक | 26 | 10 | 16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | टाईपिंग इंसट्रक्टर–कम–ब्रेल टीचर | 1 | 1 | 0 |
| 48 | वरिष्ठ ब्रेल शिक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 49 | कनिष्ठ ब्रेल शिक्षक | 4 | 3 | 1 |
| 50 | संगीत शिक्षक | 3 | 3 | 0 |
| 51 | विज्ञान शिक्षक | 2 | 1 | 1 |
| 52 | क्राफट शिक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 53 | ब्रेल कम सामान्य तकनीशियन | 1 | 1 | 0 |
| 54 | प्रूफ रीडर | 1 | 1 | 0 |
| 55 | सामन्य शिक्षक–कम–लाईब्रेरियन | 1 | 1 | 0 |
| 56 | बास्केटरी तकनीशियन | 1 | 1 | 0 |
| 57 | हिसाब शिक्षक | 2 | 1 | 1 |
| 58 | कम्प्यूटर इन्सट्रक्टर | 1 | 0 | 1 |
| 59 | अटैन्डैन्ट (तृतीय श्रेणि) | 1 | 0 | 1 |
| 60 | मैर्टन | 1 | 1 | 0 |
| 61 | केनर | 4 | 4 | 0 |
| 62 | सेवादार | 69 | 22 | 47 |
| 63 | चौंकीदार | 2 | 0 | 2 |
| 64 | स्वीपर | 6 | 4 | 2 |
| 65 | कूक | 6 | 2 | 4 |
| 66 | हैल्पर | 1 | 0 | 1 |
| 67 | माली | 1 | 0 | 1 |
| 68 | सेनीटरी वर्कर | 1 | 0 | 1 |
| 69 | अटैन्डैन्ट | 2 | 1 | 1 |
| 70 | लेडी हैल्पर | 1 | 0 | 1 |
| 71 | लेडी अटैन्डैन्ट | 2 | 0 | 2 |
| 72 | स्वीपर कम चौकीदार | 22 | 06 | 16 |
| | **कुल** | **644** | **356** | **288** |

**<u>चौकसी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड केसों का ब्यौरा</u>**

वर्ष 2016–17 के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित कोई भी केस चौकसी विभाग द्वारा रजिस्टर्ड नही किया गया ।

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
## वार्शिक प्रशासकीय रिपोर्ट वर्श 2016–17


| क0 | योजना का नाम | पेज न0 |
|---|---|---|
| 1 | **Review of Annual Administrative report (2016-17) of the Social Justice and Empowerment Department, Haryana.** | 3–5 |
| 2 | **सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हरियाणा की वर्श 2016–17 की वार्शिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।** | 8–9 |
| 3 | **बाल कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं** | 11 |
| | • निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता | 11 |
| 4 | **महिला कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं** | 11 |
| | • विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता | 11 |
| | • लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना | 12 |
| 5 | **कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना** | 12 |
| 6 | **बौना भत्ता योजना** | 12 |
| 7 | **किन्नर भत्ता योजना** | 12 |
| 8 | **दिव्यांग कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं**<br>• राजकीय अन्ध विद्यालय, पानीपत<br>• प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र, पानीपत<br>• दिव्यागं छात्रवृत्ति<br>• दिव्यांग व्यक्तिों के लिए पैंशन (दिव्यांग पैंशन)<br>• शिक्षित दिव्यांग को बेरोजगारी भत्ता<br>• स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान<br>• मन्दबुद्धि दिव्यांगों के लिए राज्य स्तरीय गृह (सिरतार) रोहतक।<br>• स्कूल न जा सकने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता<br>• मानसिक रूप से विक्षिप्त मंदबुद्धि बच्चों के पुर्नवास हेतू घरौंदा<br>• दिव्यांग व्यक्तियों के लिये बहुउद्वेशीय कैम्पों का आयोजन<br>• राज्य पुरस्कार योजना<br>• केअरगिवर्स का विस्तार<br>• बीमा योजना (निरमाया)<br>• स्थानीय स्तरीय समितियों को धन उपलब्ध कराना<br>• अनुसंधान/विशेष स्कूल एंव रिक्रियेशन सैंटर<br>• कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना | 12<br>12–13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14<br>14<br>15<br>15<br>15<br>15<br>16<br>16<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 |
| 9 | **वृद्ध कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं** | 17 |
| | • वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पैंशन) योजना | 17–18 |
| | • वृद्ध एवं अपंग गृह रेवाडी | 18 |
| | • वरिष्ठ नागरिकों को पहचान पत्र जारी करना | 18 |
| | • वृद्ध जनों के लिए राज्य पुरस्कार | 18 |
| | • वरिष्ठ नागरिक क्लबों की स्थापना | 19 |
| | • वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवाएं संगठन/नैटवर्क की स्थापना | 19 |
| 10 | **अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित योजनाएं** | 19 |
| | • प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) | 19 |
| | • पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) | 19 |
| | • मैरिट–कम–मीन छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम) | 20 |
| | • मेवात, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल एवं यमुनानगर अल्पसंख्यक जिलों के विकास हेतू योजना वर्ष 2016–17 | 20 |
| 11 | **नशामुक्ति से सम्बन्धित योजना** | 20 |
| 12 | **निदेशालय अमला** | 20–22 |